पुलिस मुख्यालय, गृह (पुलिस) विभाग, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत मध्यप्रदेश पुलिस (उत्कृष्ट खिलाडियों की नियुक्ति) नियम -2021 के अंतर्गत मध्यप्रदेश पुलिस में

उप निरीक्षक/ आरक्षक-विसबल हेतु भर्ती वर्ष-2021

भर्ती नियम पुस्तिका

ऑनलाईन आवेदन-पत्र	
आवेदन भरने की प्रारम्भ तिथि : 27/08/2021	आवेदन भरने की अंतिम तिथि : 27/09/2021
आवेदन में संशोधन करने की प्रारम्भ तिथि : 27/09/2021	आवेदन में संशोधन करने की अंतिम तिथि : 04/10/2021
शारीरिक/शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताओं का परीक्षण दिनांक व दिन :	पात्र अभ्यर्थी को तिथि के बारे में पृथक रूप से अवगत कराया जायेगा

		विभागीय शुल्क
अनारक्षित अभ्यार्थियों के लिये	उप निरीक्षक	रू. 100/-
	आरक्षक	रू. 100/-
अनुसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यार्थियों के लिये (केवल म.प्र. के मूल निवासियों के लिये)	उप निरीक्षक	रू. 50/-
	आरक्षक	रू. 50/-
ऑनलाईन आवेदन- ऑनलाईन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु पोर्टल शुल्क रूपये **70/- रू. + जी. एस. टी.** प्रति आवेदन देय होगा। ऑनलाईन आवेदन में सुधार करने हेतु शुल्क **50/- रू. + जी. एस. टी.** प्रति आवेदन देय होगा ।		

2 उप निरीक्षक/आरक्षक के पदों पर नियुक्ति हेतु शाखाएँ :-

पदनाम	पदस्थापना की शाखाएँ
उप निरीक्षक	विशेष सशस्त्र बल
आरक्षक	विशेष सशस्त्र बल

पुलिस मुख्यालय, गृह (पुलिस) विभाग, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत मध्यप्रदेश पुलिस (उत्कृष्ट खिलाडियों की नियुक्ति) नियम -2021 के अंतर्गत मध्यप्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक/ आरक्षक-विसबल हेतु भर्ती वर्ष-2021

विषय सूची

क्रं.	अध्याय	विवरण	पृष्ठ क्रं.
1.	1	पुलिस मुख्यालय, गृह (पुलिस) विभाग, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत मध्यप्रदेश पुलिस (उत्कृष्ट खिलाडियों की नियुक्ति) नियम-2021 के अंतर्गत मध्यप्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक/आरक्षक-विसबल हेतु भर्ती वर्ष-2021 हेतु विभागीय नियम	02-19
2	2	ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने संबंधी दिशा निर्देश	20-22
3	प्रारूप-2	अन्य प्रारूप	23-27
सभी पद तृतीय कार्यपालिक श्रेणी के हैं।			

नोट :- मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग के आदेश क्रमांक एफ-2(अ)03/2019/बी-4/दो भोपाल दिनांक 25/09/2020 के अनुसार राज्य शासन एतद् द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी-5-2/2018/1/3, दिनांक 05/06/2018 की कण्डिका 1.4 के अनुसार संविदा पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्ति हेतु 20 प्रतिशत पद आरक्षित किये जाने के प्रावधान से पुलिस भर्ती को मुक्त रखा गया है।

अध्याय - 1

मध्यप्रदेश पुलिस (उत्कृष्ट खिलाडियों की नियुक्ति) नियम 2021 के अंतर्गत मध्यप्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक/आरक्षक (विसबल) भर्ती -2021 के लिए नियम :-

1. सामान्य :-

मध्यप्रदेश पुलिस (उत्कृष्ट खिलाडियों की नियुक्ति) नियम 2021 के अंतर्गत मध्यप्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक/आरक्षक विसबल के पद पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते है अधिकृत खिलाडियों की पुलिस विभाग में सीधी भर्ती के लिये यह अनिवार्य अर्हता होगी कि उन्होनें खेलो में पदक पिछले 3 वर्षो में प्राप्त किया हो। नियुक्ति, सक्षम अधिकारियों द्वारा संबंधित विशेष सशस्त्र बल की इकाईयों में की जा सकेगी।

2. परिभाषायें :-

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश पुलिस (उत्कृष्ट खिलाडियों की नियुक्ति) नियम 2021 है।
2. परिभाषायें :- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-
   a. "एशियाई खेलों" से अभिपरे्त है, एशियन ओलम्पिक कमेटी द्वारा प्रत्येक चार वर्ष में आयोजित किए जाने वाली खेल प्रतियोगिता जिसमें एशिया के विभिन्न देशो के खिलाडी भाग लेते है
   b. "अधिकृत एशियाई चैम्पियनशिप" से अभिप्रेत है अधिकृत खेल प्रतियोगिता जो संबंधित खेल के एशियन महासंघ द्वारा 02 अथवा 04 वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है।
   c. "अधिकृत राष्ट्रीय प्रतियोगिता/चैम्पियनशिप" से अभिप्रेत है, मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल महासंघ द्वारा वर्ष में एक बार आयोजित की जाने वाली सीनियर राष्ट्रीय:-
   उदहारणार्थ :-
      - 30वीं राष्ट्रीय सीनियर ताइक्वांडो चैम्पियनशिप, नई दिल्ली फरवरी 2012,
      - 31वीं राष्ट्रीय सीनियर ताइक्वांडो चैम्पियनशिप, बिहार दिसम्बर 2012,
      - 32वीं राष्ट्रीय सीनियर ताईक्वांडो चैम्पियनशिप, राजस्थान सितम्बर 2013,
      - 32वीं राष्ट्रीय सीनियर हैण्डबॉल चैम्पियनशिप, चंडीगढ जनवरी 2011,
      - 33वीं राष्ट्रीय सीनियर हैण्डबॉल चैम्पियशिन, आंध्रप्रदेश जनवरी 2012, तथा
      - 34वीं राष्ट्रीय सीनियर हैण्डबॉल चैम्पियनशिप, भुवनेश्वर दिसम्बर 2012

d. '' राष्ट्र मण्डल खेल'' से अभिप्रेत है, राष्ट्र मण्डल खेल महासंघ द्वारा प्रत्येक 04 वर्ष में एक बार आयोजित की जाने वाली खेल प्रतियोगिता जिसमें ब्रिटिश राष्ट्र मण्डल देशों के खिलाडी भाग लेते है, उदाहरणार्थ :-
    - राष्ट्र मण्डल खेल 2006, मेलबोर्न,
    - राष्ट मण्डल खेल 2010, नई दिल्ली,
    - राष्ट्र मण्डल खेल 2014, ग्लासगो,
e. ''राज्यपाल'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश के राज्यपाल,
f. ''सरकार'' से अभिपर्ेत है मध्यप्रदेश सरकार,
g. ''राज्य'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य,
h. ''राष्ट्रीय खेल'' से अभिप्रेत है भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा राष्ट्रीय खेल के नाम से आयोजित की जाने वाली खेल प्रतियोगिता : उदाहरणार्थ :-
    - 33वें राष्ट्रीय खेल 2007 - गुवाहाटी(असम)
    - 34वें राष्ट्रीय खेल 2011 - रांची(झारखंड) एवं
    - 35वें राष्ट्रीय खेल 2015 - केरल
i. ''ओलम्पिक खेल'' से अभिप्रेत है, अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति लुसाने, स्विटजरलैण्ड द्वारा प्रत्येक चार वर्ष में एक बार आयोजित किए जाने वाले खेल, उदाहरणार्थ : बीजिंग ओलम्पिक 2008, लंदन ओलम्पिक 2012, रियो ओलम्पिक 2016
j. ''मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल महासंघ'' से अभिप्रेत है, राष्ट्रीय खेल महासंघ जिसे संबंधित खेल के अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघ, भारतीय ओलम्पिक संघ तथा भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है:
k. ''दक्षिण एशियाई खेल'' से अभिप्रेत है, दक्षिण एशियाई खेल महासंघ द्वारा आयोजित खेल प्रतियोगिता जिसमें दक्षिण एशियाई देश भाग लेते है। वर्तमान में इसमें 08 सदस्य देश यथा - अफगानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, भूटान, मालदीव और श्रीलंका शामिल है उदाहरणार्थ :-
    - 10वां दक्षिण एशियाई खेल 2006 कोलम्बो श्रीलंका,
    - 11वां दक्षिण दशियाई खेल 2010 ढाका बांग्लादेश एवं
    - 12वां दक्षिण दशियाई खेल 2016 गुवाहाटी एवं शिलांग भारत,
l. ''विश्वकप अथवा विश्व चैम्पियनशिप'' से अभिप्रेत है, संबंधित खेल के अधिकृत अंतर्राष्ट्रीय महासंघ द्वारा दो अथवा चार वर्ष में एक बार आयोजित की जाने वाली सीनियर वर्ग की अंतर्राष्ट्रीय चैम्पियनशिप।
m. ''आरक्षण'' से अभिप्रेत है सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडा वर्ग एवं EWS वर्गो के सदस्यों के लिये पदों का आरक्षण।

n. "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है कोई जाति, मूलवश या जनजाति के भाग या उसमें का यूथ जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्टि किया गया है।
o. "अन्य पिछडे वर्ग" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक-ए-8-5 पच्चीस-4-84 दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछडे वर्ग के संबंध में।
p. "विभाग" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश पुलिस विभाग जिसके अंतर्गत रिक्त पदों पर उत्कृष्ट खिलाडियों की भर्ती किया जाना है।
q. "समिति" से अभिप्रेत है - पुलिस मुख्यालय द्वारा गठित की गई चयन समिति।
r. "प्रथम चरण" से अभिप्रेत है - पुलिस विभाग द्वारा आयोजित शारीरिक/शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताओं का परीक्षण ।
s. "भूतपूर्व सैनिक" से अभिप्रेत है - भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड नई दिल्ली द्वारा परिभाषित है।

3 विज्ञापित पदों की तालिका-:

उप निरीक्षक – 10 पद

Category	UR	OBC@	SC	ST	EWS@	**Total**
Open	2	2	1	1	0	**6**
Female (33%) #	1	1	1	1	0	**4**
Total	**3**	**3**	**2**	**2**	**0**	**10**
Reservation$	**27%**	**27%**	**16%**	**20%**	**10%**	**100%**

आरक्षक - 50 पद

Category	UR	OBC@	SC	ST	EWS@	**Total**
Open	6	6	3	4	2	**21**
Ex Serv (10%)#	1	1	1	1	1	**5**
HG (15%)#	2	2	1	2	1	**8**
Female (33%)#	4	4	3	3	2	**16**
Total	**13**	**13**	**8**	**10**	**6**	**50**
Reservation$	**27%**	**27%**	**16%**	**20%**	**10%**	**100%**

- $: तत्समय जो भी आरक्षण के नियम लागू हो चयन आदेश तदनुसार ही जारी किए जाएँगे।
- #योग्य उम्मीदवार न मिलने की स्थिति में ये पद सम्बंधित श्रेणी के ओपन खाने के लिए गिने जाएँगे।
- @योग्य उम्मीदवार न मिलने की स्थिति में ये पद अनारक्षित श्रेणी (UR) की सम्बंधित होरिज़ोंटल श्रेणी के लिए गिने जाएँगे।

नोट :-

(1) अंतिम चयन के समय में वास्तविक रिक्त पदों की स्थिति को देखते हुये विज्ञाप्ति पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है।

(2) मध्यप्रदेश शासन गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल के ज्ञाप क्रमांक 556/128/96/बी-2/6/दो, दिनांक 31 जनवरी 1996 के द्वार स्वंय सेवी नगर सैनिकों को पुलिस आरक्षक के पद के लिए 15 प्रतिशत पद आरक्षित है। इस लाभ के लिए नगर सैनिक के रूप में ऑन लाईन आवेदन फार्म जमा करने की अंतिम दिनांक तक तीन वर्ष की सेवा पूर्ण होनी चाहिये। होमगार्ड सैनिकों के लिये आरक्षक "हॉरीजोन्टल ओवर ऑल" स्वरूप का है।

(3) मध्यप्रदेश शासन गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के ज्ञापन क्रमांक/2076/7463/2015/बी-4/दो भोपाल दिनांक 19.06.2015 द्वारा महिलाओं के लिये दिये गये 33 प्रतिशत "हॉरीजोन्टल एवं कम्पार्टमेंट वाईज" आरक्षण निर्धारित किया जाता है।

(4) मध्य प्रदेश शासन सा.प्र.विभाग आरक्षण प्रकोष्ठ मंत्रालय के आसाधारण राजपत्र आदेश दिनांक 21 अप्रैल 1999 के द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के लिये शासकीय सेवा में तृतीय श्रेणी के लिये 10 प्रतिशत पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित है।

(5) शासन द्वारा आरक्षण के संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के तहत पद सुरक्षित होगें। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि सामाजिक वर्ग पर आधारित आरक्षण अर्थात अनुसूचित जाति, अनूसचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं EWS के लिए के लिए निर्धारित आरक्षक "वर्टिकल" स्वरूप का है।

   I. वर्टीकल श्रेणियां में केवल अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा EWS के योग्य उम्मीदवार न मिलने की स्थिति में उन रिक्त पदों की स्थिति में उन रिक्त पदों को अनारक्षित श्रेणी के योग्य उम्मीदवारों से भरा जाएगा।

   II. हॉरिजोन्टल आरक्षक हेतु योग्य उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर इनके लिये आरक्षित पद कैरीफारवर्ड नहीं होगें। ऐसी स्थिति में ये पद उसी श्रेणी के अन्य उपलब्ध योग्य उम्मीदवारों से भरे जावेंगे।

(6) मान. उच्चतम न्यायालय द्वारा हॉरीजोन्टल एवं कम्पार्टमेंट वाईज आरक्षक लागू करने के सिद्धांत जो

I. इन्द्रा साहनी विरूद्ध भारत संघ : संदर्भ (1992 SUPP (3) SCC-217)

II. अनिल कुमार गुप्ता विरूद्ध उत्तर प्रदेश राज्य : संदर्भ (1995 (2) SUPP, SCR - 396 - 1995 (5) SCC - 173)

III. दीपा ई विरूद्ध भारत संघ बी.Civil Appeal No. 3609 of 2017 तथा,

IV. सौरव यादव विरूद्ध उ.प्र. शासन विशेष अनुमति याचिका क्र. 2018/23223, में दिये गए निर्णयों में जारी किए हैं उनका पालन किया जायेगा।

4. अंको का विभाजन :-

पदक विजेताओं के चयन के लिए दिए जाने वाले अंको की विभाजन

क्रं.	प्रतियोगिता/चैम्पियनशिप	प्रदान किए जाने वाले अंक			
		स्वर्ण पदक	रजत पदक	कांस्य पदक	भागीदारी
1	ओलम्पिक खेल	800	700	600	400
2	विश्वकप/विश्व चैम्पियनशिप (चार/दो वर्ष में एक बार आयोजित होने वाली)	400	300	250	100
3	एशियाई खेल	300	200	150	75
4	राष्ट्र मण्डल खेल	200	150	125	50
5	साउथ एशियन गेम्स	150	125	100	40
6	अधिकृत एशियन चैम्पियनशिप (चार/दो वर्ष मे एक बार आयाजित होने वाली)	125	100	75	30
7	राष्ट्रीय खेल	50	40	30	15
8	अधिकृत राष्ट्रीय चैम्पियनशिप	30	25	20	10

नोट :-

(1) यदि कोई खिलाडी एक प्रतियोगिता की विभिन्न विधाओं में अनेक पदक अर्जित करता है तो प्रत्येक पदक की गणना पृथक-पृथक की जाएगी।

(2) खिलाडी द्वारा पदक अर्जित करने की स्थिति में उस प्रतियोगिता/चैम्पियनशिप में "भागीदारी" के अंक प्रदान नहीं किए जाएंगे ।

5. पद के वेतनमान :-

क्रं.	पदनाम	वेतनमान
1	उप निरीक्षक	रूपये 36200-114800 /-
2	आरक्षक	रूपये 19500-62000/-

नोट :- (म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी.3-13/2019/03/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 के अनुसार वेतनमान न्यून्तम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत स्टायपेड देय)

दिये गये समस्त संवर्गो के वेतनमान के अलावा समय-समय पर शासन द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ता तथा परिब्धयाँ देय होगी। म.प्र. शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-9/3/2003/नियम-4/दिनांक 13.04.2005 एवं क्रं. एफ-9/डी/2003 नियम-4 दिनांक 02.07.2005 के अनुसार दिनांक 01.01.2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिये पारिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली लागू की गई है।

-:अर्हताएँ:-

1. न्यूतम शैक्षणिक अर्हताऐं :-

क्रं.	पदनाम	अनारक्षित, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछडा वर्ग हेतु शैक्षणिक अर्हताएं	अनुसूचित जनजाति हेतु शैक्षणिक अर्हताएं
1	आरक्षक	10+2 प्रणाली के अंतर्गत अथवा समकक्ष परीक्ष उत्तीर्ण	8वीं कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण
2	उप निरीक्षक	किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनो चाहिए।	किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

1.1 शैक्षणिक योग्यता में छूट :-

शैक्षणिक अर्हता में कोई छूट नहीं दी जावेगी, किन्तु अपवादित मामले में समिति, नियुक्ति प्राधिकारी की सिफारिश पर किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्ह मान सकेगी, जिसके पास यद्यपि इस खण्ड में विहित अर्हताओं में से कोई अर्हता नहीं हो किन्तु जिसने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित शारीरिक माप-जोख एवं दस्तावेज परीक्षण ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हो जो समिति की राय में अभ्यर्थी को शारीरिक/शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताओं के परीक्षण के लिये पात्र समझती हो। समिति अपने विवेकानुसार ऐसे अभ्यर्थियों को भी शारीरिक/शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताओं के परीक्षण में सम्मिलित कर सकेगी जो अन्यथा अर्ह हो, किन्तु जिन्होंने ऐसे विदेशी विद्यालय से उपाधियाँ प्राप्त की हो जो सरकार द्वार विनिर्दिष्ठ रूप से मान्यता प्राप्त न हो।

2. निर्धारित आयु सीमा :-

अभ्यर्थी की आयु दिनांक 1 अगस्त 2021 को 18 वर्ष से कम एवं 33 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये। मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रं. 3-8/2016/3 भोपाल, दिनांक 5 जून, 2017 के संशोधित आदेश क्रमांक सी. 3-14/2019/एक/3 भोपाल दिनांक 19 दिसम्बर, 2019 के अनुसार निम्न संवर्गो के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों की आयु सीमा की गणना निम्नानुसार है :-

क्र.	भर्ती का तरीका	म.प्र. लोक सेवा आयोग से भरे जाने वाले पदों /राजपत्रित) /अराजपत्रित के लिए (कार्यपालिक		लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के तृतीय/ चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए	
		न्यूनतम वर्ष	अधिकतम वर्ष	न्यूनतम वर्ष	अधिकतम वर्ष
1	खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती के भरे जाने वाले पदो के लिए	21	33	18	33
2	महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग) पुरूष/महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग- अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग)/ शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक/नि:शक्तजन	21	38 (अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट)	18	38 (अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट)

उच्चतर आयु सीमा में सामान्य छूट:-

निम्न मापदण्डों के अन्तर्गत आने वाले अभ्यर्थियों को निम्नानुसार आयु सीमा में छूट प्रदान की गई है:-

2.1 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट प्राप्त होगी अर्थात इस जाति वर्ग के अभ्यर्थी की आयु दिनांक 1 अगस्त 2021 को 18 वर्ष से कम एवं 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

2.2 मध्यप्रदेश राज्य शासन के निगम/मण्डल के कर्मचारियों को भी आयु सीमा में छूट के प्रयोजन के लिये शासकीय सेवक माना गया है। यह छूट आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी/कार्यभारित कर्मचारी तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी ।

2.2.1 शासकीय सेवकों को उक्त छूट की पात्रता प्राप्त करने एवं चयन से हुई नियुक्ति की पात्रता प्राप्त करने के लिये अपने वर्तमान नियुक्ति प्राधिकारी से लिखित पूर्वानुमति

अवश्य ही प्राप्त करनी होगी और ऐसी लिखित अनुमति को दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा। साथ ही अंतिम वेतन पर्ची प्रस्तुत करनी होगी। केवल वहीं शासकीय अभ्यर्थी आयु में छूट का लाभ ले पायेंगे, जो कि उस पद के लिये आवेदन कर रहें है, जिसका वेतनमान उनके पूर्व पद के मुकाबले अधिक है।

2.2.2 यहाँ स्पष्ट करना आवश्यक है कि स्थानीय निकायों जैसे जिला पंचायत, जनपद पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका आदि में कार्यरत संविदा शिक्षक, सहायक अध्यापक आदि जो स्थानीय निकाय के कर्मचारी है, उन्हें अधिकतम आयु सीमा में छूट प्राप्त नहीं है।

2.3 स्वंयसेवी नगर सैनिक तथा नगर सैनिक नॉन कमीशण्ड अधिकारियों के मामले में आवेदन करने की अंतिम दिनांक को इन पदों पर उनकी पूरी 3 वर्ष की सक्रिय सेवा पूर्ण होना चाहिए। अनुशासनहीनता, दुराचरण अथवा अस्वस्थ्यता अथवा भगोडे होने के कारण पृथक किये गये नगर सैनिकों को इस संवर्ग के अंतर्गत नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी, अतः आयु सीमा में छूट की पात्रता का प्रश्न ही नहीं उठता।

2.4 छटनी किये गये शासकीय कर्मचारी को उसकी आयु सीमा में से उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा को अधिकतम 7 वर्ष की कालावधि भले ही वह एक से अधिक बार की गई सेवाओं के कारण हो कम करने की अनुज्ञा दी जायेगी, बशर्ते की इसके परिणाम स्वरूप ऐसे अभ्यर्थी की आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं हो, अर्थात 36 वर्ष से अधिक न हो। छटनी किये गये सरकारी कर्मचारी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो मध्य प्रदेश शासन अथवा किन्हीं भी संघटक इकाई की अस्थाही सरकारी सेवा में निरन्तर कम से कम छः माह तक रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा सरकारी सेवा में नियुक्ति हेतु आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो। अनुशासनहीनता, दुराचरण अथवा अस्वस्थता के आधार पर सेवामुक्त किये गये भूतपूर्व शासकीय कर्मियों को इस सेवा में नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी। अतः इन्हें आयु सीमा में छूट की पात्रता भी नहीं होगी।

2.5 उन अभ्यर्थियों को जो भूतपूर्व सैनिक संवर्ग के अन्तर्गत आते हैं उसकी वर्तमान आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने की पात्रता होगी, बशर्ते इसके परिणाम स्वरूप उनकी आयु अधिकतम से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। भूतपूर्व सैनिक की पात्रता रखने वाले उम्मीदवारों के संबंध में सैनिक की रक्षा सेवा में नियमानुसार पेंशन प्राप्त करता हो अथवा अशक्त होने पर चिकित्सा संगठन द्वारा अशक्त पेंशन प्राप्तकर्ता को ही भूतपूर्व सैनिक माना गया है। दुराचरण अथवा अक्षमता

के आधार पर सेना से निष्कासित किये गये व्यक्तियों को भूतपूर्व सैनिको के लाभ प्राप्त नहीं होंगे। केन्द्र शासन अथवा अन्य राज्यों के सेवारत अथवा राज्यों के सेवारत अथवा भूतपूर्व शासकीय सेवाकों को आयु में किसी ऐसी छूट की पात्रता नहीं हैं, जो इन नियमों में नहीं दी गई। वे भूतपूर्व सैनिक उनके लिए हॉरीजोन्टल आरक्षण के लाभ के लिये पात्र नहीं होगे जिन्होंने किसी भी शासकीय नियोजन के लिए पूर्व में इसका लाभ प्राप्त कर लिया है। सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी आदि केन्द्र शासन के अर्द्ध सैनिक या पुलिस बलों के सदस्यों को आयुको आयु में छूट की पात्रता नहीं है।

2.6 मध्यप्रदेश की स्थायी निवासी विधवा, परित्याक्ता एवं तलाकशुदा अनारक्षित श्रेणी की महिला अभ्यार्थियों के लिये अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ वर्ग की महिलाओं हेतु अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष होगी।

2.7 मध्यप्रदेश के स्थायी निवासियों को प्रोत्साहन स्वरूप आयु सीमा में मिलने वाली छूट :- प्रोत्साहन स्परूप आयु सीमा में मिलने वाली छूटों के अन्तर्गत यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक छूट का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में मिलने वाली सर्वाधिक अधिकतम लाभ वाले एक आधार के लिये छूट मिलेगी परन्तु निम्न छूटें मिलने वाली सामान्य छूटों के अतिरक्त होंगी।

2.7.1 अनूसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत पुरूस्कृत किसी दम्पत्ति में से उच्च जाति के पति/पन्ति के मामले में उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष तक की छूट दी जावेगी। इस संबंध में विवाह पंजीयनकर्ता शासकीय अधिकारी का पंजीयन प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा दिनांक के पूर्व का प्रस्तुत करना होगा।

2.7.2 "विक्रम पुरूस्कार" प्राप्त अभ्यार्थियों के मामले में भी उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष तक छूट दी जावेग।

2.8 किसी भी अन्य प्रकरण में आयु सीमा शिथिल नहीं की जायेगी। उच्चतर आयु सीमा में शिथिलता चाहने वाले उम्मीदवारों को तदाशय का निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र सत्यापन के समय पेश करना होगा। जाति प्रमाण पत्र के नमूने इस नियम पुस्तिका के अन्य प्रारूप में दर्शायें गए हैं।

3. अन्य अर्हतायें :-

3.1 खिलाडियों को पुलिस विभाग में सीधी भर्ती के लिये यह अनिवार्य अर्हता होगी कि उन्होंने उपरोक्त खेलों में पदक पिछले तीन वर्षो में प्राप्त किया हो।

3.2 केवल वे ही अधिकृत खिलाडी आवेदन कर सकेंगे जो :-

3.2.1 मध्यप्रदेश के निवासी हों।

अथवा

3.2.2 विगत 3 वर्षो से मध्यप्रदेश खेल अकादमी में लगातार प्रशिक्षण ले रहे हो।

3.3 ऐसे खेल में पदक प्राप्त किया हो जो कि भारत सरकार एवं भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त (recognized) हो।

3.4 भारतीय ओलम्पिक संघ,अन्तार्राष्ट्रिय ओलम्पिक संघ की अधिकृत संस्था हैं। अतएव केवल उन्हीं खेलों के अधिकृत खिलाड़ी आवेदन के पात्र होंगे जिन खेलों की ओलम्पिक प्रतियोगिता आयोजित की जाती है तथा उनका फेडरेशन अथवा संघ भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त (recognized) हो। भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त(recognized) उन खेल संघ की सूची जो कि ओलम्पिक के भी खेल हैं, निम्नानुसार है:-

खेल	अधिकृत संस्था
Athletics	Amateur Athletic Federation of India
Badminton	Badminton Association of India
Basketball	Basketball Federation of India
Billiards & Snookers	Billiards & Snookers Federation of India
Cycling	Cycling Federation of India
Equestrian	Equestrian Federation of India
Football	All India Football Federation
Golf	Indian Golf Union
Hockey	Hockey India
Judo	Judo Federation of India
Kayaking &Canoeing	Kayaking & Canoeing Association of India
Rowing	Rowing Federation of India
Shooting	National Rifle Association of India
Squash Racket	Squash Racket Federation of India
Swimming	Swimming Federation of India
Table Tennis	Table Tennis Federation of India
Tennis	All India Tennis Association
Volleyball	Volleyball Federation of India
Weight-Lifting	Indian Weightlifting Federation
Wrestling	Wrestling Federation of India
Yachting	Yachting Association of India
Gymnastics	Gymnastic Federation of India

खेल	अधिकृत संस्था
Handball	Handball Federation of India
Taekwondo	Taekwondo Federation of India
Baseball	Amateur Baseball Federation of India
Fencing	Fencing Association of India
Karate	Karate Association of India
Roller Skating	Roller Skating Federation of India
Softball	Softball Association of India
Winter Games	Winter Games Federation of India
Triathlon	Indian Triathlon Federation
Boxing	Boxing Federation of India
Sports Climbing	Indian Mountaineering Foundation

3.5 उम्मीदवार को उपरोक्त खेलों में प्रदर्शन के प्रमाणिक दस्तावेज प्रस्तुत करना होंगे और ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय/ राष्ट्रीय चैम्पियनशिप अथवा विश्वकप जिसमें कि आवेदन ने पदक जीता है, उसमें भाग लेने वाले ऐसे खिलाड़ियों का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जो कि ओलम्पिक,राष्ट्रमण्डल खेलों, एशियाई खेलों, दक्षिण एशियाई खेलों अथवा नेशनल गेम्स में पदक विजेता रहे हों।

4. निर्धारित समस्त अर्हताएं ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम दिनांक तक उम्मीदवार के पास अवश्य होनी चाहिये, उदाहरण के लिए यदि कोई उम्मीदवार इस वर्ष 10 वीं कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा में बैठा है और उसके पास 10 वीं कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा पास करने का प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है तो वह आवेदन करने के लिए पात्र नहीं है। इसी प्रकार अन्य प्रमाण पत्र जो ऑनलाईन आवेदन फार्म जमा करने की अंतिम दिनांक के पश्चात जारी किये गये हैं उन्हें मान्य नहीं किया जावेगा एवं अभ्यार्थी की उम्मीदवारी निरस्त की जावेगी।

5. महत्वपूर्ण :-

5.1 किसी ऐसे उम्मीदवार को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाणपत्र आवश्यक हो इस बात के अध्यधीन प्रावधिक रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि राज्य शासन द्वारा उसके पक्ष में आवश्यक प्रमाण पत्र अंततः जारी कर दिया जाए।

5.2 स्वंयसेवी नगर सैनिक तथा नगर सैनिक नॉन कमीशण्ड अधिकारियों के मामले में आवेदन करने की अंतिम दिनांक को इन पदों पर उनकी 03 वर्ष की सक्रिय सेवा पूरी होना चाहिए।

5.3 कोई उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक संतान हैं, जिसमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 या उसके पश्चात हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

5.4 अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से विकृत नहीं होना चाहिए।

-: <u>उम्मीदवारों के लिए अन्य निर्देश</u>:-

1. शारीरिक/शैक्षिणक एवं अन्य अर्हताओं के परीक्षण स्थल :- मोतीलाल नेहरू स्टेडियम, लाल परेड ग्राउण्ड, जहाँगीराबाद भोपाल।
2. शारीरिक/शैक्षिणक एवं अन्य अर्हताओं के परीक्षण की योजना :-

2.1 https://recruitment.mppolice.gov.in द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त किये जाएँगे, जिसके साथ वांछित दस्तावेज संलग्न किय जाने होंगे। ऑनलाईन आवेदन पत्रों की स्क्रुटनी संबधी आवश्यक निर्देश अध्याय-2 में दिए गए हैं।

2.2 शारीरिक/शैक्षिणक एवं अन्य अर्हताओं के परीक्षण हेतु उम्मीदवारों द्वारा आवेदन पत्र https://recruitment.mppolice.gov.in के माध्यम से भरे जाते हैं। किसी भी उम्मीदवार को एक आवेदन जमा करने की पात्रता है।

2.3 आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवारों के किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण https://recruitment.mppolice.gov.in अथवा अन्य किसी भी अधिकारी द्वारा नहीं किया जाता है। अतः शारीरिक/शैक्षिणक एवं अन्य अर्हताओं के परीक्षण में योग्य हुये उम्मीदवारों का परिणाम प्रावधिक (provisional) होगा। शारीरिक/शैक्षिणक एवं अन्य अर्हताओं के परीक्षण में सफल होना किसी भी उम्मीदवार को चयन होने की दावेदारी प्रदान नहीं करता है।

2.4 यदि उम्मीदवार मूल प्रमाण पत्रों के परीक्षण में अयोग्य पाया जाता है अथवा असफल होता है तो उसकी अभ्यर्थिता समाप्त की जायेगी, यदि उम्मीदवार उपरोक्त मूल प्रमाण पत्रों के परीक्षण में योग्य पाया जाता है तथा शारीरिक/शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताओं के परीक्षण में योग्य होता है, तभी उसे उसके पद की मेरिट में आने की पात्रता होगी।

3. प्रमाण पत्रों की जाँच :-

प्रमाण पत्रों की जॉच पुलिस मुख्यालय द्वारा गठित समिति के सीधे पर्यवेक्षण में की जावेगी। आवेदक अपने ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ वांछित दस्तावेज संलग्न करेंगे एवं चयन समिति के समक्ष दस्तावेज सत्यापन के समय निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्र/दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा:-

3.1 जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में जन्म प्रमाण पत्र अथवा हाईस्कूल या इण्टरमीडियेट (10+2) की अंक सूची जिसमें जन्म तिथि लिखि हो,

3.2 शैक्षिणक योग्यता के प्रमाण पत्र,

3.3 खेल से संबंधित प्रमाण-पत्र,

3.4 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) उम्मीदवार शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र।प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम, पदनाम, कार्यालय इत्यादि

सुस्पष्ट होना चाहिए। प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित प्रपत्र नियमावली के साथ प्रकाशित किए जा रहे हैं।

3.5 EWS प्रमाण पत्र,

3.6 स्वयं सेवी नगर सैनिक अथवा नगर सेना के नॉन कमीशण्ड अधिकारियों के अभ्यर्थियों को आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वार जारी किए गए नगर सेना की तीन वर्ष की सेवाकाल का प्रमाण पत्र।

3.7 भूतपूर्व सैनिकों के मामले में सेना की सेवा का प्रमाण पत्र ।

3.8 पूर्व से नियोजित उम्मीदवारों को उनके नियोक्ता के द्वारा जारी सेवा में होने का प्रमाण पत्र।

3.9 परित्यक्ता महिला के लिये लागू उच्चतम आयु सीमा की छूट प्राप्त करने हेतु महिला उम्मीदवारों को परित्यक्ता होने के प्रमाण के रूप में राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार से नीचे स्तर का नहीं होगा,एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि विवाह के बाद महिला उम्मीदवार को उसके पति ने विधिवत तलाक दिये बिना छोड़ दिया है तथा उक्त पति से महिला उम्मीदवार को काई गुजारा भत्ता नहीं प्राप्त होता है।

3.10 अनूसूचित जाति, अनूसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरूस्कृत किसी दम्पत्ति में से उच्च जाति के पति/पत्नी अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किय गये विवाह एवं पुरूस्कार प्रमाण पत्र।

3.11 "विक्रम पुरूस्कार" प्राप्त अभ्यार्थियों के मामले में भी उच्चतर आयु सीमा दी छूट हेतु संबंधित प्रमाण पत्र।

3.12 विवाहित अभ्यर्थियों को उनके बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र।

3.13 नियोजक का अनापत्ति प्रमाण पत्र केवल पूर्व के नियोजत उम्मीदवार के लिये।

3.14 आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों हेतु स्वयं के नाम का मध्यप्रदेश राज्य का मूल निवासी प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।

<u>नोटः-</u>

1. दस्तावेज स्त्यापन के समय सभी दस्तावेजों की स्वयं द्वारा प्रमाणित फोटोप्रति तथा मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना होंगे। अप्रमाणित प्रति को मान्य नहीं किया जायेगा।
2. यदि उम्मीदवार मूल प्रमाण पत्रों के परीक्षण में अयोग्य पाया जाता है अथवा असफल होता है तो उसे अगले चरण में भाग लेने की पात्रता नहीं होगी, तथा उसकी अभ्यर्थिता समाप्त करते हुए उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। यदि उम्मीदवार उपरोक्त मूल प्रमाण पत्रों के परीक्षण में योग्य पाया जाता है तथा शारीरिक/शैक्षिणक एवं अन्य अर्हताओं के परीक्षण में योग्य होता है, तभी उसे उसके पद की मेरिट में आने की पात्रता होगी।

4. चयन सूची:-

सर्वप्रथम सभी वर्ग के प्रतियोगियों में से अनारक्षित पदों के लिये योग्य उम्मीदवारों की सूची बनाई जायेगी। इस सूची में अनारक्षित वर्ग अनुसूचित जाति, अनूसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार भी शामिल होगे जो मेरिट के आधार पर स्थान पाने के हकदार हैं एवं अनारक्षित पदों के लिये सभी अन्य अर्हतायें भी पूरी करते है। ऑनलाईन आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आपसी सहवरिष्ठता अंकों के आधार पर निर्धारित की जावेगी। समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की सहवरिष्ठता आयु के आधार पर निर्धारित की जायेगी अर्थात जिस उम्मीदवार की आयु अधिक होगी वह मेरिट क्रम में समान अंक प्राप्त करने वाले कम आयु वाले उम्मीदवार से ऊपर रहेगा।

5. यात्रा किराया :-

मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अनुसार आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को शारीरिक/शैक्षिणक एवं अन्य अर्हताओं के परीक्षण में सम्मिलित होने पर यात्रा भत्ता की प्रतिपूर्ति पुलिस विभाग द्वारा की जायेगी। उक्त हेतु उम्मीदवार अपने बैंक खाते की पासबुक की प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति साथ लायेंगे, जिसमें उम्मीदवार का खाता क्रमांक, बैंक का नाम एवं आई.एफ.एस.सी. कोड स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो रहा हो।

6. चरित्र सत्यापन :-

नियुक्ति आदेश जारी करने के पूर्व शासन के आदेशानुसार प्रत्येक उम्मीदवार का चरित्र सत्यापन कराया जावेगा। उम्मीदवारों को चरित्र सत्यापन फार्म में पूरी एवं सही-सही जानकारी भरना चाहिये, को झूठी जानकारी, अधूरी जानकारी, अर्धसत्य जानकारी नहीं देना चाहिये। कोई जानकारी छिपाना भी नहीं चाहिये। विशेषकर चरित्र सत्यापन फार्म में कॉलम नम्बर 12 में सही-सही जानकारी भरना आवश्यक है। अब मध्यप्रदेश शासन के चरित्र सत्यापन संबंधी नए दिशा-निर्देशों के अनुसार अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन के संबंध में उनके द्वारा उसके पूर्ववत के अन्तर्गत दिए गए विवरणों में उसने किसी तथ्य को जानबूझकर जानते हुये नहीं छिपाया है। यदि कोई उम्मीदवार चरित्र सत्यापन फार्म में कोई तथ्यात्मक जानकारी छिपाता है अथवा कोई गलत जानकारी देता है तो वह सेवा के अयोग्य ठहराया जावेगा और उसे नियुक्ति नहीं दी जावेगी।

यदि यह तथ्य सेवा में नियुक्ति के बाद उजागर होता है तो उसे बिना कोई अन्य नोटिस दिये सेवा से पृथक कर दिया जावेगा। चरित्र सत्यापन विपरीत होने पर नियुक्ति अथवा सेवा में बने रहने की पात्रता नहीं होगी। ऐसे चयनित व्यक्तियों का नाम चयन सूची से हटा दिया जावेगा।

7. स्वास्थ्य परीक्षण :-

उम्मीदवार को नियुक्ति आदेश जारी होने के पूर्व उसका स्वास्थ्य परीक्षण मेडिकल बोर्ड से कराया जावेगा जिसमें उसे पुलिस सेवा के लिये निर्धारित मापदण्डों पर पूर्ण रूप से फिट होना

अनिवार्य होगा। जिला मेडिकल बोर्ड से उम्मीदवार को शासकीय सेवा हेतु अनफिट घोषित किये जाने पर उसे नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी तथा उसका नाम चयन सूची से हटा दिया जावेगा।

8. परिवीक्षा :-

8.1 इन नियमों के अधीन प्रारंभिक तौर पर प्रत्येक नियुक्ति तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए की जाएगी। यदि कर्मचारी का कार्य असंतोषजनक पाया जाए तो परीवीक्षा अवधि बढा दी जायेगी। उसे परीवीक्षा अवधि को सन्तोषजनक रूप से पूर्ण करने के पश्चात ही स्थायी किया जाएगा और तभी वह नियमित वेतनवृद्धि का हकदार होगा।

8.2 नियुक्ति के उपरान्त प्रत्येक चयनित उम्मीदवार को तीन वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्ति किया जायेगा एवं निर्धारित प्रशिक्षण पर भेजा जावेगा।

8.3 विभागीय प्रशिक्षण में छूट :-

8.3.1 इन नियमों के अंतर्गत नियुक्त कर्मचारियों को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व करने हेतु अधिकतम वर्ष की अवधि 6 वर्ष तक विभागीय तक विभागीय प्रशिक्षण से छूट दी जाएगी। यह छूट तभी दी जाएगी, जब उक्त प्रतियोगिताओं में उनका प्रदर्शन अच्छा रहा हो।

8.3.2 निर्धारित प्रशिक्षण से स्थायी या अस्थायी छूट का कोई प्रावधान नहीं है। प्रशिक्षण पर निर्धारित समय में उपस्थित न होने वाले चयनित उम्मीदवारों का नाम चयन सूची से हटा दिया जायेगा। नियुक्ति प्रस्ताव वापस ले लिया जावेगा। इस संबंध में मेडिकल प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

8.4 प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न शारीरिक तथा बौद्धिक प्रशिक्षण, अस्त्र-शस्त्र संचालन आदि का प्रशिक्षण दिया जायेगा। इसमें किसी वजह से कोई क्षति होने पर विभाग जिम्मेदार नहीं होगा। प्रशिक्षण में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रशिक्षण सफलता पूर्व उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी को प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने के लिये एक अवसर प्रदान किया जावेगा।

8.5 जिस पद के लिये चयन किया जायेगा केवल उसी पद पर नियुक्ति के लिये विचार किया जा सकेगा और उसी संवर्ग में आगे पदोन्नति/पदस्थापना की जावेगी।

8.6 चयनित उम्मीदवार को पुलिस मुख्यालय द्वारा जो ईकाई आवंटित की जावेगी वहां उसे कम से कम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करनी होगी, उसके बाद ही वह अन्य इकाई में स्थानान्तरण का पात्र हो सकेगा।

9. चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति के बाद पुलिस विभाग की अन्य शाखाओं व मध्यप्रदेश शासन के सभी विभागों के अन्तर्गत राज्य के अन्दर व राज्य के बाहर पदस्थ किया जा सकेगा। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों जैसे राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ई.ओ.डब्ल्यू.),

लोकायुक्त अथवा ऐसी अन्य संस्थाओं में की जाने वाली पदस्थापना में उसकी सहमति की आवश्यकता नहीं है।

10.सामान्य निर्देश :-

उपरोक्त नियमों के संबंध में किसी संशय अथवा विवाद की स्थिति में मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 54 दिनांक 01 जनवरी 2021 द्वारा जारी राजपत्र में अंकित प्रावधान अंतिम रूप से मान्य होंगे। यहां पुनः स्पष्ट किया जाता है कि आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवारों के किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण ऑनलाइन आवेदन के समय अथवा अन्य किसी भी विभागीय अधिकारी द्वारा नहीं किया जाता है। उम्मीदवार को उसके मूल प्रमाण पत्रों की जांच में, शारीरिक मापजोख में, मेडिकल बोर्ड के द्वारा किये जाने वाले स्वास्थ्य परीक्षण में तथा चरित्र सत्यापन में सफल एवं योग्य पाये जानेपर ही नियुक्ति प्राप्त करने की पात्रता होगी।

11.रिकार्ड रखरखाव एवं नष्टीकरण :-

भर्ती का अभिलेख भर्ती की दिनांक से तीन वर्ष तक अथवा अगली भर्ती होने तक जो भी पहले हो सुरक्षित रखा जाएगा, तत्पश्चात जब कोई प्रकरण या शिकायत किसी न्यायालय या सक्षम प्राधिकारी के पास लंबित हो तो उसे पृथक कर सीलबंद लिफाफे में रखकर शेष अभिलेख नियमानुसार कमेटी बनाकर नष्ट किये जाने वाले अभिलेखों का निर्धारित रजिस्टर में दर्ज किया जाकर नष्टीकरण की कार्यवाही की जावेगी।

नोट :- **उक्त् निर्देशों के अतिरिक्त ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अंतिम दिनांक तक म0प्र0 शासन द्वारा जारी समस्त नियम/निर्देश/परिपत्रों को स्वतः सम्मिलित माना जावेगा।**

(मुकेश कुमार श्रीवास्तव)
सहायक पुलिस महानिरीक्षक (चयन/भर्ती)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

अध्याय-2

ऑनलाईन आवेदन-पत्र के नियम व निर्देश

ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों का विवरण :-

ऑनलाईन आवेदन -पत्र के साथ आवेदक को निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से स्केन कराकर संलग्न करने होंगे। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा :-

I. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाणीकरण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र को स्केन करवाकर संलग्न करना होगा।

ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ फोटो संलग्न करने संबंधी निर्देश :-

I. फोटोग्राफ अच्छी गुणत्ता एवं पृष्ठभाग **(background)** सफेद होना चाहिये।

II. पोलोराइड**(Polaroid)** फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा।

III. अभ्यर्थी का फोटोग्राफ सामने से वेबकेमरा से आवेदन पत्र भरते समय का खींचा हुआ होना चाहिए, जिसमें अभ्यर्थी के दोनों कान भी स्पष्ट दिखाई दें।

IV. उपरोक्त मापदण्ड के फोटोग्राफ संलग्न नहीं किये जाने पर आवेदन-पत्र निरस्त किया जा सकता है।

ऑनलाइन https://recruitment.mppolice.gov.in के माध्यम से आवेदन फार्म भरने की विधि :-

I. https://recruitment.mppolice.gov.in पर उपलब्ध कराए गए आवेदन-पत्र के प्रारूप को नियमों के अनुरूप उचित रूप से भरना चाहिये।

II. आवेदक का आधार पंजीयन आवश्यक है

III. आवेदक को सर्वप्रथम पोर्टल (https://recruitment.mppolice.gov.in) पर पंजीयन करना होगा इसके लिए “New Candidate Registration” के अंतर्गत “Create Account” लिंक पर क्लिक करें |

IV. पंजीयन हेतु आधार सत्यापन आवश्यक है |

V. इसके पश्चात फॉर्म में प्रदर्शित की गयी समस्त जानकारी अंकित करें और 'Create Account' पर क्लिक करें

VI. सुनिश्चित कर लें कि रजिस्ट्रेशन के लिए दी गयी समस्त जानकारी सही और प्रामाणिक है

VII. सुनिश्चित कर लें कि मोबाइल न. एवं ई मेल आई डी सही और प्रामाणिक है क्योंकि आपको रजिस्ट्रेशन और आवेदन की जानकारी आपके उपलब्ध कराये गए मोबाइल नंबर एवं ईमेल दी जावेगी |

VIII. फार्म भरने के उपरांत आवेदक फार्म में भरी गई समस्त जानकारियां भली-भांति पढकर सही-सही जानकारी भरा होना सुनिश्चित करने के पश्चात ही पोर्टल शुल्क का भुगतान करें |

IX. भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्क धारक द्वारा कम्प्यूटराईज्ड आवेदन-पत्र सह रसीद आवेदक को उपलब्ध करायेगा, जिसमें आवेदक का ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई समस्त जानकारी के साथ पोर्टल शुल्क भुगतान की जानकारी उपलब्ध रहेगी, जिसे स्वयं के पास संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलिक्षत होती है तो उसे संशोधन की अंतिम तिथि के पूर्व उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकेगा।

ऑनलाईन आवेदन भरने के संबंध में निर्देश :-

I. आवेदन-पत्र, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि की रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाईन भरे जा सकते है। आवेदक द्वारा भरे जाने वाले आवेदन पत्र में राज्य एवं जिले का विवरण ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से प्राप्त होगा। जिससे भविष्य में आवश्यकतानुसार राज्य एवं जिले के आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सके।

II. ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी जानें वाली समस्त जानकारियों की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

III. आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में शैक्षणिक अर्हता के अनुरूप रखने वाली अंक सूची का क्रमांक तथा कुल प्राप्तांक, पूर्णाक सहित आवेदन पत्र में भरा जाना अनिवार्य है।

निर्धारित तिथि में जमा किए गए ऑनलाईन आवेदन पत्र में संशोधन की व्यवस्था

I. ऑनलाईन आवेदन-पत्र में निर्धारित दिवस तक ऑनलाईन आवेदन-पत्र में संशोधन किया जा सकेगा।

II. उक्त सुविधा केवल ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने का निर्धारित अवधि में देय शुल्क राशि का भुगतान कर सफलता पूर्वक भरे गए आवेदन-पत्रों के लिए ही उपलब्ध होगी।

III. संशोधन हेतु निर्धारित तिथियों की अवधि में आवेदक द्वारा एक या एक से अधिक बार अपने आवेदन-पत्र में संशोधन किया जा सकेगा, जिसके लिए प्रत्येक बार आवेदक को संशोधन शुल्क का भुगतान करना होगा।

IV. उपरोक्त प्रक्रिया में किसी आवेदक द्वारा यदि श्रेणी अनारक्षित के स्थान पर अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग का संशोधन किया जाता है, तो उसके द्वार भुगतान की गई विभागीय शुल्क राशि में से अजा/अजजा/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क में छूट की राशि वापस नहीं की जायेगी।

V. परन्तु यदि किसी आवेदन द्वारा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से अनारक्षित का संशोधन किया जाता है, तो उसे अनारक्षित के लिए निर्धारित विभागीय शुल्क राशि में पूर्व में जमा की गई राशि का समायोजन कर शेंष राशि का भुगतान करना होगा।

VI. संशोधन के लिए निर्धारित अवधि में स्वयं आवेदक द्वारा अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा तथा ऐसे किसी भी संशोधन के लिए आवेदक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।

प्रमाण-पत्रो का प्रारूप

प्रारूप -1

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये स्थायी जाति प्रमाण पत्र

ऐसे उम्मीदवार, जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा अधिसूचित नियमों के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने के नाते, आयु संबंधी या अन्य सुविधायें चाहते हों तो निम्नांकित प्राधिकारियों में से किसीएक प्राधिकारी से निम्न प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करें:-

1. जिलाध्यक्ष/अपर जिलाध्यक्ष/उप जिलाध्यक्ष/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अथवा जिलाध्यक्ष द्वाराअधिकृत अन्य कोई अधिकारी।

स्थाई प्रमाण पत्र नीचे लिखे प्रारूप के अनुसार होना चाहिये -

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग..जिला...
............................मध्य प्रदेश

पुस्तक क्रमांक......................................प्रमाण पत्र क्रमांक....................................प्रकरण क्रमांक.................................स्थायी जाति

प्रमाण पत्र-नियम 8 (1)

यह प्रमाणित किया जाता हैं कि श्री/श्रीमती/कुमारी...पिता/पति का नाम ....निवासी/ग्राम/नगर..विकास खण्ड.........................तहसील............................जिला.................................संभाग...............................
.............जाति/जनजाति का/की सदस्य हैं और इस जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्य प्रदेश राज्य के संबंध मेंअनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रुप में विनिर्दिष्ट किया गया हैं और यह .... जाति/जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत मध्य प्रदेश की सूची में अनुक्रमांक...............पर अंकित हैं, अतः श्री/श्रीमती/कुमारी ....पिता/पति का नाम ....अनुसूचित जात/जनजाति का/की हैं ।

2. प्रमाणित किया जाता हैं कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी...के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपये.................................हैं।

दिनांक...........

हस्ताक्षर

(सील) प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम, पदनाम

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये
अस्थायी जाति प्रमाण पत्र

ऐसे उम्मीदवार जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा अधिसूचित नियमों के अर्न्तगत अनुसूचित जाति/अनु.जनजाति के सदस्य होने के नाते, आयु संबंधी या अन्य सुविधायें चाहते हो तथा उनके पास जाति संबंधी स्थाई प्रमाण पत्र उपलव्ध न हो तो निम्नांकित प्राधिकारियों में से किसी एक प्राधिकारी से निम्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें:-

1. संबंधित (राजस्व) अधिकारी/तहसीलदार/अतिरिक्त तहसीलदार/नायव तहसीलदार। अस्थाई प्रमाण पत्र नीचे लिखे प्रारूप के अनुसार होना चाहिये -

(अस्थायी प्रम्रमाण पत्र) नियम 8 (2)

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग......................................जिला..मध्य प्रदेश

पुस्तकक्रमांक...........................प्रमाणपत्र-क्रमांक..............................प्रकरणक्रमांक..................

जाति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता हैं कि श्री/श्रीमती/कुमारी.. पिता/पति का नाम ....निवासी/ग्राम/नगर ....वि.ख. ....तहसील...जिला.. संभाग..जाति/जनजाति का/की सदस्य हैं और इस जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्य प्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूजाति चत जनजाति के रुप में विनिर्दिष्ट किया गया हैं और यह ....जाति/जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत मध्य प्रदेश की सूची में अनुक्रमांक..पर अंकित हैं, अतः श्री/श्रीमती/कुमारी ....पिता/पतिकानाम..अनुसूचित जाति/ जनजाति का/की हैं ।

2. प्रमाणित किया जाता हैं कि आवेदकश्री/श्रीमती/कुमारी...के परिवारकी कुल वार्षिक आय रूपये.....................................हैं।

दिनांक ....

हस्ताक्षर

(सील) प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम,पदनाम

यह प्रमाण पत्र जारी होने के दिनांक से 6 माह के लिये वैध रहेगा।

प्रारूप-3

अन्य पिछड़ा वर्गों के शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिये प्रस्तुत किये जाने वाले जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप (स्थायी जाति प्रमाण पत्र) नियम 8(1)

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग...जिला..मध्यप्रदेश

पुस्तकक्रमांक....................प्रमाणपत्रक्रमांक...............प्रकरण क्रमांक..............................

जाति प्रमाण पत्र

2.यह प्रमाणित किया जाता हैं कि श्री/श्रीमती/कुमारी......................पिता/पति का नाम ....निवास/ग्राम/नगर.................................वि.ख..................तहसील.... ....जिला...संभाग.. ....मध्य प्रदेश के निवासी हैं, जो... जाति के हैं, जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में मध्य प्रदेश शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जातिएवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5/पच्चीस/4/84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वाराअधिमान्य किया गया हैं।

श्री/श्रीमती/कुमारी...पिता/पतिकानाम... ....और/उनका परिवार सामान्यतः मध्य प्रदेश के जिला ....संभाग.....................................में निवासकरता हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता हैं कि श्री/श्रीमती/कुमारी..क्रीमीलेयर (सम्पन्नवर्ग) व्यक्तियों/वर्गो की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग केपरिपत्र क्रमांक 360/2/22/93/स्था(एस.सी.टी.) दिनांक 8.9.1993 द्वारा जारी सूची के कालम-3 में मध्य प्रदेशशासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक-एफ-7-26/93/1/आप्र./दिनांक 8 मार्च, 1994 के साथ संलग्नपरिशिष्ट 'ई' की अनुसूची के कालम (3) मे किया गया हैं

3. प्रमाणित किया जाता हैं कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी ....के परिवार की कुलवार्षिक आय रूपये..हैं।

दिनांक ....

हस्ताक्षर

(सील) प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम,पदनाम

यह प्रमाण पत्र जारी करने के लिये प्राधिकृत अधिकारियों की सूची।

प्रमाणीकरण हेतु निम्नलिखित अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया हैं जहां कि अभ्यर्थी एवं उसका परिवार निवासकरता हैं। जिलाध्यक्ष/अपर जिलाध्यक्ष/उप जिलाध्यक्ष/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/जिलाध्यक्ष अथवा शासन द्वारा अन्यप्राधिकृत अधिकारी।

अन्य पिछड़ा वर्गों के शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिये प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप (अस्थायी जाति प्रमाण पत्र) नियम 8(2)

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग.....................................जिला..मध्यप्रदेशक्रमांक......... ....प्रमाण पत्र क्रमांक...प्रकरण क्रमांक..

जाति प्रमाण पत्र

2. यह प्रमाणित किया जाता हैं कि श्री/श्रीमती/कुमारी..पिता/पति का नाम ....निवास/ग्राम/नगर...वि.ख.. ....तहसील..जिला..................................... संभाग...............................मध्य प्रदेश केनिवासी हैं, जो......................... जाति के हैं, जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में मध्य प्रदेश शासन, आदिम जाति, अनुसूचितजाति एवं पिछडा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5/पच्चीस/4/84, दिनांक 26 दिसम्बर1984 द्वारा अधिमान्य किया गया हैं।

श्री/श्रीमती/कुमारी ....पिता/पति का नाम ....और/उनका परिवार सामान्यतः मध्य प्रदेश के जिला ....संभाग में निवास करता हैं। यह प्रमाणितकिया जाता हैं कि श्री/श्रीमती/कुमारी..क्रीमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों/ वर्गो कीश्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र क्रमांक360/2/22/93/स्था(एस.सी.टी.) दिनांक 8.9.1993 द्वारा जारी सूची के कालम-3 में मध्य प्रदेश शासन, सामान्यप्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक-एफ-7-26/93/1/आप्र./दिनांक 8 मार्च, 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट 'ई'की अनुसूची के कालम (3) मे किया गया हैं

3. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी ....के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपये...हैं।

दिनांक.........

हस्ताक्षर

(सील) प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम,पदनाम

यह प्रमाण पत्र जारी करने के लिये प्राधिकृत अधिकारियों की सूची। प्रमाणीकरण हेतु निम्नलिखित अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया हैं जहां कि अभ्यर्थी एवं उसका परिवार निवास करता हैं।
संबंधित राजस्व अधिकारी/ तहसीलदार/ अतिरिक्त तहसीलदार/ नायव तहसीलदार
यह प्रमाण पत्र जारी करने के दिनांक से 6 माह के लिये वैध रहेंगा।

नोटः वर्णित विभिन्न प्रारूपों के अतिरिक्त भी यदि कोई संबंधित प्रारूप शेष रह जाता हैं तो वह शासन के द्वाराजारी किए गए प्रारूप के अनुसार होगा।

प्रारूप-5

कार्यालय का नाम

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पति प्रमाण पत्र

प्रमाण पत्र क्रमांक……….. दिनांक……………

वित्तीय वर्ष…………….. के लिए मान्य

प्रमाणित किया जाता है की श्री/श्रीमती/कुमारी……………………………………………………..
पुत्र/पति/पुत्री……………………………………. ग्राम/क़स्बा…………………………………….
पोस्ट ऑफिस……………………………………. थाना…………………………………………
तहसील…………………….. जिला…………………………. राज्य……………………………
पिनकोड…………. के सस्थायी निवासी हैं, जिनका फोटोग्राफ नीचे अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योकि वित्तीय वर्ष………… इनके परिवार की कुल वार्षिक आय (08 Lakh) आठ लाख रूपये से कम है| इनके परिवार के स्वमित्वा मैं निम्नलिखित मैं से कोई भी परिसम्पति नहीं है

1. जिसके पास 5 एकड़ या उससे अधिक भूमि हो (जिसके खसरे मैं तीन साल से लगातार उसर , पथरीली ,बीहड़ भूमि अंकित हो, वह भूमि मैं शामिल नहीं होगी
2. जिसके पास 1200 वर्गफुट से अधिक का आवासीय मकान /फ्लैट नगर निगम क्षेत्र मैं स्थित हो |
3. जिसके पास नगर पालिका क्षेत्र में 1500 वर्गफुट से अधिक का आवासीय मकान / फ्लैट हो |
4. नगर परिषद् क्षेत्र में जिसके पास 1800 वर्गफुट से ज्यादा का आवासीय मकान / फ्लैट हो |

श्री / श्रीमती / कुमारी………………………………………… जाति…………………………… के सदस्य हैं जो की अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप मैं अधिसूचित नहीं है |

आवेदक का पासपोर्ट साइज
का अभिप्रमाणित फोटो

हस्ताक्षर…………………….(कार्यालय का मुहर सहित)
पूरा नाम…………………………………………………
पदनाम……………………………………………………

अनुविभागीय अधिकारी / तहसीलदार